न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

क्रमांक – रीडर/2018/76 दिनांक 10/01/18

प्रेषित :–

तहसीलदार चौहटन

विषय :– राजस्व आवेदन सं. 04/16 अनवान भगाराम वगैरा बनाम भैराराम वगैरा में न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.01.2018 की पालना करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय में विचाराधीन आवेदन सं. 04/16 अन्तर्गत धारा 251 (क) Rt Act में निर्णय दिनांक 10.01.2018 को पारित किया गया है। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.01.2018 की पालना करते हुए पालना रिपोर्ट की सूचना 15 दिवस में पेश करे।

सलंग्न – निर्णय की प्रमाणित प्रति।

सहायक कलक्टर चौहटन

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

सहायक कलक्टर (SDO)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 04/16 अन्तर्गत धारा 251 'क' Rt Act

प्रार्थीगण :– 1. भगाराम 2.भीखाराम पि.कानाराम 3.अशोक 4.श्यामलाल 5.भजनलाल पि. निम्बाराम 6.चनणी बेवा नीम्बाराम, जातियान विश्नोई, निवासी चौहटन आगोर तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :– 1. भेराराम 2.हरीराम 3.जोधाराम 4.ठाकराराम पि.रिडमलराम
5.नरीगाराम पुत्र रिड़मलराम के का.मु. :–
1.सुजानाराम 2.सोनाराम पि.नरीगाराम 3.अणसी पत्नि नरीगाराम
6.केसराराम 7.लाधुराम पि.प्रहलादराम 8.बीरबल 9.बुधाराम 10.राणाराम
11.धर्माराम पि.सुरताराम 12.पूनमी पत्नि सुरताराम
13.हरदानराम पुत्र प्रहलादराम के का.मु.वगैरा :–
1.भाखराराम 2.धोलाराम 3.जगराम पि.हरदानराम 4.गवरी पत्नि हरदानराम
जाति विश्नोई, निवासी चौहटन आगौर, तहसील चौहटन।
14.तहसीलदार चौहटन

वकील प्रार्थीगण :– श्री जगदीश पोटलिया

विप्रार्थीगण वकील :– श्री रूपसिंह राठौड़, श्री शाकर खान

सहायक कलक्टर चौहटन सत्यमेव जयते

निर्णय

दिनांक 10.01.18

प्रार्थीगण भगाराम पुत्र कानाराम वगैरा जाति विश्नोई निवासी चौहटन आगोर, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (क) राजस्थान काश्तकारी / संशोधन अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण सदभावी काश्तकार है। प्रार्थीगण की खातेदारी, कब्जे काश्त की जोत मौजा सणाऊ तहसील चौहटन जिला बाड़मेर में खसरा नं. 117 रकबा 71.09 बीघा स्थित है। उसकी उक्त जोत पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है एवं काश्त के समय प्रार्थीगण की जोत के चारों ओर के काश्तकार अपनी अपनी काश्त कर लेते है। जिससे प्रार्थीगण अपनी जोत में आने जाने से बाधित होता है। अतः प्रार्थीगण को विप्रार्थीगण के खसरा सं. 116 रकबा 04.07 बीघा, खसरा सं. 590/115 रकबा 07.11 बीघा मौजा सणाऊ में रास्ता दिया जावे।

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। प्रार्थीगण के अधिवक्ता के निवदेन पर तहसीलदार को मौका रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार चौहटन द्वारा वादग्रस्त खसरा का रकबा गलत होने के कारण आदेश पुनः लोटाया गया। जिस पर प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा संशोधित आवेदन पेश करने एवं संशोधित आदेश जारी करने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे स्वीकार कर संशोधित आदेश जारी किये। विप्रार्थीगण सं. 1 से 4, 5/1, 5/3 की ओर से अधिवक्ता श्री रूपसिंह राठौड़ ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। भू.अ.निरीक्षक चौहटन द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि पटवारी हल्का सणाऊ द्वारा प्रमाणित प्रति दिनांक 12.12.15 तैयार करते वक्त भूलवश खसरा सं. 590/115 की जगह 591/115 दर्ज अंकित कर दिया। उसकी जगह 590/115 मूल राजस्व रेकर्ड के अनुसार संशोधन किया जावे ताकि न्यायालय के आदेश की पालना हो सके। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौहटन को मौका रिपोर्ट हेतु संशोधित आदेश जारी किये गये। तहसीलदार चौहटन से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जो पत्रावली शामिल की गई। मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया । मौका रिपोर्ट पर उभयपक्षकारान विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया। उभयपक्षकारान अधिवक्ताओं को मौका रिपोर्ट स्वीकार है।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । सलंग्न दस्तावेजों एवं मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। जैसा कि मौका रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण के खेत से गांव , आबादी, बस स्टेशन , स्कूल आदि तक आवागमन का कोई अन्य रास्ता नहीं है।

अतः प्रार्थीगण की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है न्याय संगत है। प्रार्थीगण को जो दिया जाना है। उसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	खसरा संख्या	रकबा बीघा	किस्म	रास्ते की चौड़ाई फीट में	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि बीघा	मौजा	खातेदार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	590/115	07.11 बीघा	बा.अ.	20 फीट	00.04	सणाऊ	**हरदान, केसरा, लाधु पि. प्रहलाद, बीरबल, बुधाराम, राणाराम, धर्माराम पि. सुरताराम, पूनमी पत्नि सुरताराम, कौम विश्नोई, सा. चौहटन खातेदार** रहन एस.बी.बी.जे.शाखा चौहटन
2	116	04.07 बीघा	बा.अ.	20 फीट	00.02	सणाऊ	**भेरा, हरीराम, जोधा, ठाकरा पि. रिड़मल, सुजानाराम, सोनाराम पि.नरींगाराम, कौम विश्नोई,**

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा वर्णित उपरोक्त खसरा नं. 590/115 एवं 116 के अंदर से जो रास्ता चाहा गया है

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

वह आंशिक नक्शा इस में लाल रंग से दर्शाया गया गया बिन्दु A से B तक रास्ता प्रार्थीगण को दिया जाता है और इस प्रस्तावित नए मार्ग में कोई मकान व कीमती पेड़ और न ही किसी प्रकार का बेरा/टांका बना हुआ है।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/ डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तावित नए रास्ते में कोई मकान व कोई कीमति पेड़ या अन्य कोई संरचना नहीं है। अतः प्रभावित (पक्षकारों) / विप्रार्थीगण को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रार्थीगण द्वारा देय होगी और प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों को दी जाने वाली राशि नए रास्ते के लिए प्रस्तावित समाविष्ट भूमि के रकबे की डीएलसी द्वारा निर्धारित दर से दौगुणा राशि के बराबर होगी। डीएलसी द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक की ही मान्य होगी और इसी आधार पर प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण/प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अनिवार्य होगा।

प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द मौका एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस लाल रंग से दर्शाया गया गया बिन्दु A से B तक 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस व फर्द मौका निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थीगण को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

सहायक कलक्टर चौहटन

1. तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में सलंग्न मौका नक्शा ट्रेस में लाल रंग दर्शाया गया प्रस्तावित नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा के बराबर होगी।
3. प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

बात का विनिश्चय किया जाएगा कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इनकार करता हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी । क्षतिपूर्ति राशि तहसील में जमा करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।

4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में **"रास्ता"** के रूप में अभिलिखित की जायेगी। जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होगा।

5. प्रार्थीगण को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।

6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थीगण को नया तथा 20 फीट चौड़ा रास्ता दिए जाने का आदेश आज दिनांक 10.01.2018 को दिया जाता है। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

सहायक कलक्टर
चौहटन

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

आज दिनांक 28-01-2017 को श्रीमान तहसील-दार साहब चौहटन के आदेश क्रमांक/भू.अ/2016/3565 दि. 8-11-2016, संशोधित आदेश क्रमांक/भू.अ/2016/3638 दि. 29-11-2016 व 93 दि. 25.01.2017 की पालना में राजस्व आवेदन सं. 04/16 अनवान भगा-राम वगैरह बनाम भेराराम वगैरह अन्तर्गत धारा 251 A RT Act में मौके पर जाकर प्रार्थी, विप्रार्थीगण व मौतबरान की उपस्थिति में प्रार्थी के खेत मौजा सणाऊ के ख.नं. 117 व विप्रार्थीगण के खेत मौजा सणाऊ के ख.नं. 116 व 590/115 का मौका मुआयना कर राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया।

प्रार्थीगण भगाराम वगैरह द्वारा अपने खेत मौजा सणाऊ के ख.नं. 117 में आने जाने हेतु विप्रार्थीगण के खेत ख.नं. 590/115 व 116 में से चाहे गए रास्ते व वर्तमान में आने जाने हेतु उपयोग में लिए जा रहे रास्ते के सम्बन्ध में जानकारी जुटाने पर प्रार्थीगण के खेत ख.नं. 117 में आने जाने हेतु कोई स्थायी रास्ता नही है। कभी किसी पगडंडी से तो कभी कि[illegible] पगडंडी से आना जाना करते हैं जो बुवाई के वक्त [illegible] बन्द हो जाती है। अतः प्रार्थीगण द्वारा चाहे [illegible] अनुसार प्रार्थीगण के खेत ख.नं. 117 रकबा 71.09 बी[illegible] में आने जाने हेतु संलग्न नक्शे में बरंग लाल [illegible] दर्शाये अनुसार 20 फिट चौड़ाई का A से B त[illegible] रास्ता प्रस्तावित है। उक्त प्रस्तावित रास्ते [illegible] A से B में कोई मकान, कीमती पेड़, बाड़ा, टांक[illegible] आदि कोई अवरोध मौजूद नही है और न ही अन[illegible] कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद है।

P.T.O

Ex count
सहायक कलेक्टर (SDO) चौहटन

निरीक्षक (भू.अ.) चौहटन

Page (2)

	खातेदार का नाम व पता	खसरा संख्या	रकबा बीघे में	रास्ते की चौड़ाई फिट में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमी का रकबा	DLC दर	रास्ते में समाविष्ट भूमी की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	हरदान केसरालाधू पि० प्रहलाद बीरबल बुधाराम राणाराम धर्माराम पि० सुरताराम पूनमी w/o सुरताराम कौम विश्नोई सा० चौहटन खातेदार रहन - SBBJ शाखा चौहटन	590/115	7.11	20 फिट	0.04 बीघा	10840	2168 रुपये	बा०अ०
2	भेरा हरिराम ओधा ठाकरा पि० रिड़मल सुजानाराम सोनाराम पि० नरींगाराम कौम विश्नोई सा० चौहटन खातेदार	116	4.07	20 फिट	0.02 बीघा	10840	1084 रुपये	बा०अ०
	योग				0.06 बीघा		3252 रु.	

चूंकि संलग्न नक्शे में दर्शाये बिन्दु x, y तक (चौहटन सरहद से) ओवरलेपिंग का असर है परन्तु ~~प्रभाव~~ प्रस्तावित रास्ते A से B पर ओवरलेपिंग का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

फर्द मौका पढ़कर सुनाया व हस्ताक्षर कृ.नि. कराये गये। प्रार्थीगण ने हस्ताक्षर से इन्कार किया।

Ex-count

सहायक कलेक्टर (SDO) चौहटन

राजसिंह
प.स.137

28/01/2017
निरीक्षक (भू.अ.) चौहटन

अशोक नेमीचाराम

श्रीखाराम / कानाराम

भगाराम s/o

वीरमाराम पि. भगाराम

Sarwan dhaka
श्रवण / सुरताराम

रहमान (रहमानजा)

कानाराम प्रार्थी

नक्शा किश्त
मौजा - सणाऊ
तह - चौहटन
पैमाना - 1" = 40 करम

राजस्व आवेदन सं. 4/16
U/S 251A

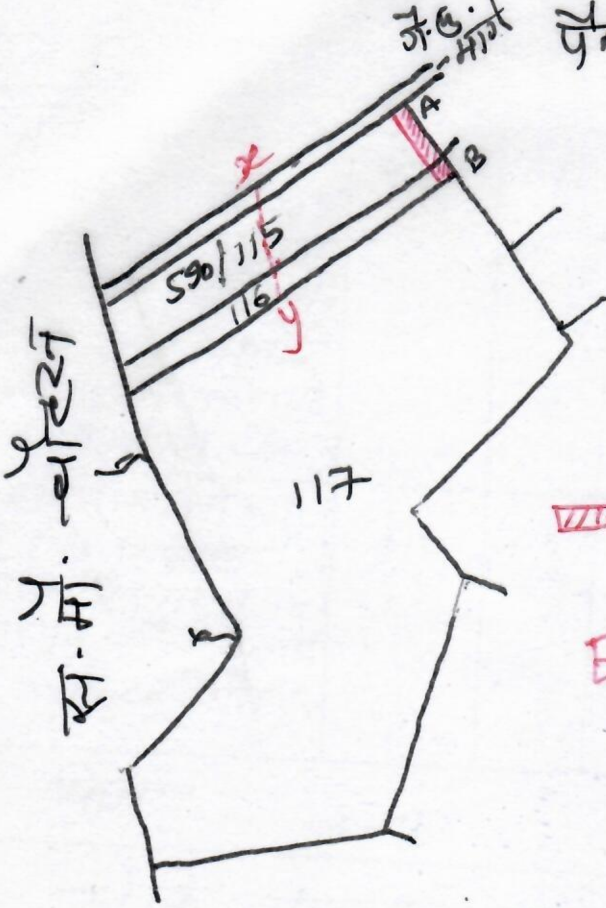

संकेत

▨ प्रस्तावित रास्ता

Ex-count

10.1.18
सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

28/01/2017

निरीक्षक (भू.अ.)
चौहटन

राजसिंह
प. सणाऊ

Ashok Dhatt
अशोक / भीखाराम

भीखाराम / कानाराम

भगाराम / कानाराम

Veeru
वीरमाराम s/o भगाराम

Sarwan dhatt
सरवण s/o सुरताराम

रहमान
(रहमान खाँ)